

DIR/16

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन) -04/0007/2003-05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 24—जून 30, 2006 (आषाढ़ 3, 1928)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24—JUNE 30, 2006 (ASADHA 3, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2006

आवास वित्त कम्पनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.16/सीएमडी/-2006--राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987/53) की धाराओं 30ए तथा 31 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001 में निम्नानुसार और संशोधन तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, अर्थात् :-

आवास वित्त कम्पनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 26 में, व्याख्या (3) के नीचे मद (घ) (i) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(i) वाणिज्यिक अचल सम्पत्तियों (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-प्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भांडारण स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश”

150

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK
(WHOLLY OWNED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)
HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

New Delhi, the 6th June 2006

Direction No. NHB.HFC.DIR.16/CMD/2006.—

The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

In paragraph 26, under explanation (3), of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 for item (d) (i), the following shall be substituted), *viz.*

“i) Fund based and non-fund based exposures to commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.).”	150
--	-----

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director
